ISSN : 2395-4132

THE EXPRESSION

An International Multidisciplinary e-Journal

Bimonthly Refereed & Indexed Open Access e-Journal

Impact Factor 3.9

Vol. 5 Issue 2 April 2019

Editor-in-Chief : Dr. Bijender Singh

Email : editor@expressionjournal.com

www.expressionjournal.com

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम का इतिहास एवं व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण और निगम की स्थापना तथा उद्देश्य : एक शोधात्मक अध्ययन

डॉ. शाजिया अंसारी
प्रवक्ता (समाजशास्त्र)
जी. एफ़. (पी.जी.) कॉलेज, शाहजहाँपुर
उत्तर प्रदेश, भारत

Abstract

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में कार्यरत जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या निरन्तर घटती गई, इस कमी का प्रमुख कारण देश के विभाजन के कारण उत्पन्न हुई समस्यायें थीं, सन् 1946 में 200 कार्यालय थे, वहीं 1955 तक घटकर 149 रह गये। देश के विभाजन के तुरन्त बाद 6 कार्यालय बन्द हो हुये। जबकि सबसे अधिक 13 कार्यालय 1951–52 के दौरान बन्द हुये। देश की बदली हुई स्थिति में विभाजन से हुई क्षति को पूरा करने का प्रयत्न तीन प्रकार से किया गया–

1. भारत में अधिक से अधिक व्यापार प्राप्त करने के लिये गहन प्रयत्न
2. विदेशी कम्पनियो से प्रतियोगिता करके उनसे अधिक व्यवसाय पाने का प्रयत्न।
3. अन्य देशों में व्यापार प्राप्त करने के प्रयत्न।

Keywords

राष्ट्रीयकरण, न्यासराशि, सामाजिक नियन्त्रण

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम का इतिहास एवं व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण और निगम की स्थापना तथा उद्देश्य: एक शोधात्मक अध्ययन

डॉ. शाजिया अंसारी

प्रवक्ता (समाजशास्त्र)

जी. एफ़. (पी.जी.) कॉलेज, शाहजहाँपुर

उत्तर प्रदेश, भारत

'' सामुहिक रूप से जोखिमें उठाना ही बीमा है।'' – सर विलियम वेवरेज

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम उद्योग में सुधार करने के प्रयत्न किये गये। सन् 1950 में इस प्रकार बीमा अधिनियम में बहुत से संशोधन किये गये। सन् 1956 में देश में ''इण्डिया रिइन्श्योरेन्स कारपोरेशन लिमिटेड'' की स्थापना हुई। इस नियम ने भारत की बीमा कम्पनियों व्यवसाय का बड़े पैमाने पर पुनर्बीमा करना शुरू किया।

भारतीय बीमा कम्पनियॉ विदेशी कम्पनियों को इस व्यवसाय से हटाने का प्रयत्न करने लगीं। परिणामस्वरूप विदेशी कम्पनियों का कुल जीवन बीमा व्यवसाय गिरा जो सन् 1945 में 3.70 प्रतिशत पॉलिसी था। वह 1955 में 2.9 प्रतिशत ही रह गया। 1955 में कुल व्यवसाय का 93 प्रतिशत भाग भारतीय कम्पनियों को चला गया। इस प्रकार भारतीय बीमा कम्पनियां विदेशी कम्पनियों को बाजार से हटाने मे तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सफल रहीं।

सन् 1956 तक भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करने हेतु 170 बीमा कम्पनियों तथा 80 भविष्य निर्वाह, जोकि जीवन बीमा का आधार होने चाहिये, उनका पूरा अभाव था, और अधिकांश व्यवस्थापनो को न्यासराशि तथा भाग धारकों के स्वामित्व वाली संयुक्त स्टॉक कम्पनियों की राशि में स्पष्ट और प्रमुख अन्तर का बोध नहीं था। अतः निम्न कारणों को ध्यान में रखते हुये भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता को महसूस किया गया–

1. पॉलिसी धारक को शत्–प्रतिशत् सुरक्षा देना।
2. प्रतियोगिता मे निरर्थक प्रयत्नों को टालना।
3. बीमा का संदेश ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाना।
4. राष्ट्र निर्माण कार्यो में जीवन बीमा निधि का प्रयोग का उपयोग सुनिश्चित करना।

अतः भारत सरकार ने दिनांक 19 जनवरी 1956 को भारत के जीवन बीमा व्यवसाय को नियन्त्रण अध्यादेश द्वारा केन्द्रीय सरकार में निहित करते हुये भारत के जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से पहला कदम उठाया। जीवन बीमा अधिनियम संसद् द्वारा जून 1956 में पारित किया गया, तथा 1 जुलाई 1956 से प्रभावी हुआ। सन् 1957 में भारत देश में साधारण बीमा परिषद् का भी गठन किया गया। साधारण बीमा परिषद् ने देश में बीमा का व्यवसाय करने वालों के लिये आचार संहिता को भी निर्मित किया। बीमा नियन्त्रक की महत्वपूर्ण भूमिका उक्त आचार संहिता का पालन करवाने में रहीं।

इस प्रकार जीवन निधि पर सामाजिक नियन्त्रण रखने एवं व्यवसाय के सिद्धान्तों पर आधारित सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में जीवन बीमा के सन्देश को भारत के कोने–कोने में प्रसारित करने के संकल्प के साथ राष्ट्रीयकृत भारतीय जीवन बीमा निगम का आर्विभाव 1 सितम्बर 1956 को हुआ।

जीवन बीमा निगम के गठन की संध्या पर तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था''जीवन बीमा निगम भारत में वृहद राष्ट्रीय उपक्रम है, समाजवादी समाज की ओर हमारी प्रगति में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमे लाभ प्रयोजन कम हो जाता है, और सेवा प्रयोजन प्रधान हो जाता है। हम चाहते हैं कि जीवन बीमा हमारे देश में तेजी से फैले और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें।''

भारत में पुनर्बीमा को और अधिक ब्रढानें के लिये सन् 1961 में ''इण्डियन गारन्टी एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी'' का गठन किया गया, सन् 1968 में बीमा अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया तथा साधारण बीमा व्यवसाय पर सामाजिक नियन्त्रण बढ़ाने हेतु अनेक प्रावधान किये गये। इस संशोधन के द्वारा ही भारत में ''टेरिफ एडवाइजरी समिति'' को भी गठित किया गया। इस समिति ने बीमा शुरू होने से पहले प्रीमियम का भुगतान करने तथा सर्वेयरों को लाइसेन्स देन के सम्बन्ध में भी निर्णय लिये।

सन् 1971 में भारतदेश में साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से समुद्री बीमा, अग्नि का बीमा तथा विविध बीमा व्यवसाय करने वाली सभी 107 संस्थाओं के व्यवसाय को सकार ने अभिग्रहित करके भारतीय साधारण निगम एवं इसकी सहायक चार कम्पनियों को दे दिया गया। इस व्यवसाय के नियन्त्रण एवं नियमन के लिये बीमा नियन्त्रक के स्थान पर 'बीमा नियमन प्राधिकरण' को स्थापित किया गया। आने वाले समय में समुद्री एवं अग्नि बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

सन् 1921 में देश में जीवन बीमा का नियमन करके 'इण्डियन लाइफ एश्योरेन्स कम्पनीज एक्ट' को निर्मित किया गया। सन् 1928 में एक और 'इण्डियन इन्श्योरेन्स कम्पनीज एक्ट को बनाया गया। इसके बाद सन् 1938 में इन सारे अधिनियमो का एकीकरण करके बीमा अधिनियम 1938 को निर्मित किया गया। सन् 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके इस बीमा व्यवसाय को चलाने के लिये भारतीय जीवन बीमा को स्थापित किया गया।

सन् 1956 में कार्यरत सभी 245 भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीमाकर्ताओं/ कम्पनियों के कारोवार को इस नियम के द्वारा अभिग्रहित कर लिया गया तथा भारत में तब से जीवन बीमा व्यवसाय को यही निगम संचालित कर रहा है। इसी निगम ने 1956 से अब तक जीवन बीमा के क्षेत्र में बहुत से उद्देश्यपूर्ण कार्य किये हैं। बहुत से नये बीमा पत्रों को बनाया है जो कि हमारे समाज मे सभी वर्गो, क्षेत्रों मे बहुत ही लाभप्रद सिद्व हुये है। इसका एक पहलू यह भी है कि निगम की प्रबन्धकीय कुशलता पर कई बार सवाल उठे हैं तथा बहुत से आरोप भी इसके एकाधिकारी स्थिति में होने के कारण लगे हैं परन्तु इन सबके बावजूद भी यह विकास की ओर अग्रसर है। फलतः आज जीवन बीमा के क्षेत्र में दोबारा निजी क्षेत्र के प्रवेश की छूट मिल रही है, जीवन बीमा के तीव्र विकास की ओर अग्रसर होने की उम्मीद की जा सकती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नवीनतम समय में भारतीय जीवन बीमा का विकास हो रहा है, तथा आने वाले समय में यह भी उम्मीद की जा सकती है कि नई तकनीकि के सानिध्य में बीमा को और अधिक सफलता प्राप्त होगी तथा जनसामान्य को भी इसका लाभ पहुँचेगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की गई है–

1. जीवन बीमा का प्रमुख उद्देश्य जीवन बीमा का अधिकतम प्रसार करना है तथा देश मे बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुॅचाना तथा उनकी मृत्यु होने पर उनके मूल्यो पर पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
2. व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से बीमित व्यक्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना।
3. अपने व्यवसाय को मितव्ययता से चलाना तथा इस बात का ध्यान रखना कि समस्त धन बीमादारों का है।
4. बदले सामाजिक व आर्थिक वातावरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समाज की जीवन बीमा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना।
5. बीमे के साथ जुड़ी बचत को काफी आकर्षक बनाकर जनता की बचतों को अत्यधिक गतिशील बनाना।
6. देश में जो लोग पढ़े-लिखे है पर रोजगार नहीं है। उन्हें रोजगार मुहैया कराना।
7. समाज में जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिये बीमा को उपयोगी बनाना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की उपयोगिता बताना तथा आकर्षक रूप में वहॉ पहुॅचाना।
9. निर्गमित उद्दश्यों को प्राप्त करने के लिये समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन करना तथा ''निगम'' के सभी ऐजेन्टो और कर्मचारियों में सहयोग, गौरव और कार्य संतुष्टि की भावना का विकास करना।
10. निधि का पूॅजी निवेश करते समय समाज के हित को भूले बिना अपने बीमादारो के प्रति मुख्य कर्त्तव्य को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आकर्षक लाभ के दायित्वों को ध्यान में रखते हुये ही पूॅजी लगाने वाले के साथ समस्त समाज के अधिकतम हित में निधि को सुव्यवस्थित निवेश करना।

निष्कर्ष–अतः उपरोक्त शोध पत्र के अध्ययन से स्पष्ट हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम मानव सेवा के लिये सतत् प्रयत्नशील है। निगम की पॉचवी वर्षगॉठ के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ''भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो असाधारण सफलता प्राप्त की है, वह अत्यन्त संतोषजनक है। मुझे आशा है कि उन्नति निरन्तर जारी रहेगी क्योकि भारत में इसके लिये विशाल क्षेत्र है।''

BIBLIOGRAPHY

(1) Agarwal Naveen: Investment Pattern of LIC of India
(2) Agarwal Nikhil: Discloser of Transparency in Financial Statement of LIC of India
(3) Bhattv. V.V.: Employ met & Capital Formation in Underdeveloped Economics.
(4) Das & Gupta: Life Insurance Act, 1956
(5) Government of India: Principals of Life Insurance Corporation
(6) Human & David: Life Insurance in form of Investment
(7)Insurance Institute of India: Principles of Life Assurance
(8) Insurance Institute of India: Organization Structure of LIC
(9) Insurance Institute of India: Life Insurance Accounts
(10) Mani, P.A.S.: Life Insurance in India
(11) Mukharjee, H.: Investment of Life Insurance Behavior
(12) Sen M.M. : Elements on Life Insurance
(13) Sen A.K. : Choice of Technique
(14) Vakil, C.N.: Poverty and Planning
(15) L.I.C.I.: Fact Book 1993
(15) L.I.C.I.: Account Manual